# छत्तीसगढ़ शासन
# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
# नया रायपुर

**क्रमांकः एफ 01–59/2018/विज्ञप्त/1036** **नया रायपुर, दिनांक : 26/06/2018**

| प्रकाशन की तारीख 27 / 06 / 2018 | आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 29.06.2018 से 18.07.2018 के मध्य किसी भी दिवस में। |
|---|---|

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–60/2013/सत्रह/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2013 के व्दारा छत्तीसगढ़ शासन के (असाधारण) राजपत्र व्दारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में प्रावधान अनुसार भारतीय नागरिक और भारत सरकार द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) में **"चिकित्सा अधिकारी"** के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग के पत्र कमांक एफ 1–62/2015/सत्रह/एक, दिनांक 15 मई, 2017 व्दारा 423 चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गई, जिनके तारतम्य में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑन–लाईन आवेदन, विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से दिनांक 29.06.2018 से 18.07.2018 तक आमंत्रित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में तदर्थ/संविदा रूप से पदस्थ चिकित्सक भी रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर रिक्त पदों का वर्गवार विवरण नीचे तालिका में दर्शित हैं :–

| पद का नाम | कुल रिक्तियों की संख्या | | | | | कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद | | | | | कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजन (OA, OL) के लिए वर्गवार आरक्षित पद | | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अना. | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि. वर्ग | योग | अना. | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि. वर्ग | योग | अना. | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि. वर्ग | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **चिकित्सा अधिकारी** | **178** | **51** | **135** | **59** | **423** | **53** | **15** | **40** | **18** | **126** | **11** | **3** | **8** | **3** | **25** | **423** |
| **Abbreviations used :- OA- One Arm, OL- One Leg** | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. विज्ञापित पद हेतु **आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार** किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु ऑन–लाईन आवेदन व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा–निर्देश विभाग के वेबसाईट www.cghealth.nic.in में देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

3. **आवेदन भरने की तिथि** :– ऑन–लाईन आवेदन दिनांक 29.06.2018 से दिनांक 18.07.2018 को रात्रि 12.00 बजे तक विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर भरे जा सकेगें।

4. प्राप्त आवेदनों के समीक्षा उपरांत पात्र आवेदकों की सूची एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर जारी किया जावेगा।

5. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेंगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

6. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता**:– मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् व्दारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी) एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य हैं।

7. अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण–पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं अन्य अर्हताओं के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

8. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

9. सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण संबंधी एवं अन्य निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

10. छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियम एवं निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

11. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/3/एक नया रायपुर, दिनांक 23.01.2017 के द्वारा राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों पर की जाने वाली भर्ती में एक बार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक प्रदान की जायेगी। अन्य विशेष वर्गो को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट यथावत लागू रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**संचालक**
**स्वास्थ्य सेवायें**
**छत्तीसगढ़**

## सामान्य नियम एवं शर्तें :–

1. **पदों की संख्या परिवर्तनीय है** – चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में प्रशासनिक कारणों से कमी या वृद्धि की जा सकती है।

2. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेंगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

3. अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण–पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं अन्य अर्हताओं के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित हैं। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी को अनारक्षित श्रेणी का माना जायेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को प्राधिकृत अधिकारी व्दारा जारी मूल जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से कराया जा सकता है।

5. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्शिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण–पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 03 वर्श के भीतर जारी किया हुआ हो।

7. महिला अभ्यार्थियों/निःशक्त व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिक के लिए पद, शासन द्वारा समय–समय पर बनाए गए अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखे जाएगें।

8. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी ही निःशक्तजन के आरक्षण हेतु मान्य होंगे।

9. सेवा में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा।

**10.** पद का विवरण :–

| | | |
|---|---|---|
| 10.1 पद का नाम | :– | चिकित्सा अधिकारी (उल्लेखित प्रपत्र में दर्शित अनुसार) |
| 10.2 सेवा श्रेणी | :– | छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें–द्वितीय श्रेणी। |
| 10.3 वेतनमान | :– | 56100–7वें वेतनमान के अनुसार लेवल 12<br>(वेतन बैंड 15600–39100 ग्रेड वेतन–5400/–)<br>एवं समय–समय पर राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते। |

**11. शैक्षणिक अर्हताएं :–**

1. एम.बी.बी.एस. उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी)।
2. छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊसिल में जीवित पंजीयन/अन्य राज्यों में पंजीकृत आवेदको को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में राज्य में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
3. ऐसे उम्मीदवार जो एम.बी.बी.एस. के साथ पी.जी. डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी है, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

**12. आयु सीमा :–**

वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है की जनवरी के प्रथम दिन (01.01.2018) को अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।

12.1 जिन वर्गो को पूर्व में अधिकतम आयु सीमा में उनके वर्ग आधार पर छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है (जैसे–अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला/विधवा–परित्यागता इत्यादि) उन वर्गो को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार अतिरिक्त छूट यथावत् मिलती रहेगी परंतु किसी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

12.2 आयु संबंधी प्रमाण–पत्र के लिए सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्समय अर्हता का प्रमाण–पत्र। अन्य प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

**13. उच्चतम आयु सीमा में छूटः–** राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिनियम/नियम/दिशा निर्देश/जारी आदेशों के अधीन होगी।

13.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/3/एक नया रायपुर, दिनांक 23.01.2017 के द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में एक बार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक प्रदान किया जाएगा।

**14.** ऑन–लाईन आवेदन करने के संबंध में निर्देश/जानकारी :–

14.1 उपरोक्त पदों पर आवेदन ऑन–लाईन पोर्टल (www.cghealth.nic.in) के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें समस्त प्रविष्टि आवेदक स्वयं या किसी की सहायता से कर सकता हैं।

14.2 ऑन–लाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा–निर्देश एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) में उपलब्ध है।

14.3 ऑन–लाईन आवेदन करने हेतु जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हताएं (अंक सूचियां), अनुभव प्रमाण पत्र, जाति, निवास, पंजीयन, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (तदर्थ/संविदा हेतु) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जो कि ऑन–लाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय चाही गई है। उन समस्त दस्तवेजों को स्वयं सत्यापित कर स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

14.4 आवेदक को स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन करने के पश्चात् अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रत्येक की साईज 50 KB से अधिक न हो, फोटो तथा हस्ताक्षर का फारमेंट JPG में ही होना चाहिए।

14.5 आवेदक, आवेदन बड़ी ही सावधानीपूर्वक सभी प्रविष्टियॉ सही–सही भरे एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। गलत जानकारी हेतु आवेदक स्वयं ही जिम्मेदार होगें।

14.6 आवेदन पूर्ण करने के पश्चात् जब आवेदन को सुरक्षित **(Save)** करना होगा जिससे कि पृथक पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक ही आवेदक का यूसर नेम होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी नोट कर सुरक्षित रखेगें।

14.7 आवेदक ध्यान रखे की अपने पंजीयन क्रमांक तथा पासवर्ड किसी अन्य को पता न चले।

14.8 उपरोक्त आवेदन में समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज में दिये अनुसार ही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जॉच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी (चयन के पूर्व/पश्चात्) त्रुटिपूर्ण पायें जाने पर उनका चयन निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय विभाग का होगा।

14.9 बेबसाईट पर उपलब्ध ऑन–लाईन आवेदन प्रपत्र अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जावेगें। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम से ऑफ–लाईन प्रस्तुत किए गये आवेदन स्वीकार नही किए जावेगें एवं इस प्रकार प्रस्तुत आवेदनों के निरस्तीकरण की कोई सूचना पृथक से नही दी जावेंगी ।

14.10 आवेदन संबंधी एवं अन्य नियम एवं शर्तो की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) पर उपलब्ध है।

**15.** आवेदक, आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन ऑन लाईन भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

16. आवेदन में उल्लेखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियॉं अपलोड करना तथा काउंसिलिंग में सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां मय सत्यापित (स्व–सत्यापित) लाना अनिवार्य होगा।

17. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्समयक अर्हता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप में अनुशंसा/अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कार्यानुभव के अंक प्रदान किए जाएगें। (Annexure-II)

19. **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र** :– छत्तीसगढ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडलों राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोक्ता का ही मान्य किया जावेगा।

20. **चयन प्रक्रिया** :– शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेंगा। मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों से प्राप्त योग के आधार पर तैयार की जावेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

**20.1 शैक्षणिक योग्यता** :–

1.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् व्दारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि) के प्राप्तांको की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 75 अंक प्रावधानित है।

1.2 अन्य देशों से वांछित शैक्षणिक योग्यताधारक अभ्यर्थियों के अंकों की गणना भारतीय चिकित्सा परिशद/राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फारेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्जामिनेशन/स्क्रीनिंग टेस्ट से प्राप्त अंकों को उपरोक्त गणना हेतु आधार माना जावेगा।

1.3 अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता मेडिसिन/सर्जरी/स्त्रीरोग/शिशुरोग/एनेस्थिसिया/ऑपथेल्मोलॉजी/रेडियोलॉजिस्ट/पैथालॉजिस्ट/नाक, कान, गला रोग/अस्थि रोग/मनोरोग विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु 05 अंक एवं स्नातकोत्तर डिग्री हेतु 10 अंक प्रावधानित है। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हेतु अधिकतम 10 अंक प्रावधानित है।

**20.2 कार्यानुभव :–**

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सालयों/संस्थाओं में अनुभव के आधार पर मात्र राज्य में अनुसूचित विकासखण्डों (शासन आदेश क्रमांक एफ 4–1/2014/1–3 नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015 एवं उसमें समय–समय पर जारी संशोधन अनुसार) में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को एक वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है। (Annexure-I)

1.2 अनुभव के आधार पर मात्र राज्य में अनुसूचित विकासखण्डों में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को एक वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रतिवर्श 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जावेगा तथा सत्यापन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी किया जावेगा। (Annexure-I)

1.3 अंतिम सूची उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस. के सभी वर्षो के प्राप्तांक एवं पूर्णांक के प्रतिशत आधार पर) में प्राप्त कुल अंकों + कार्यानुभव अंक + अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों के योग से मेरिट के आधार पर तैयार की जावेगी।

**21.** प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अपलोड होने वाले आवेदन पत्रों एवं चयन प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी की सूचना विभागीय बेवसाईट www.cghealth.nic.in पर दी जावेगी।

**22.** राज्य शासन द्वारा सीधी भर्ती हेतु समय–समय पर आदेश/निर्देश लागू होंगे।

**23.** प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन–पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण–पत्र देने या आवेदन–पत्र में जाति संबंधी गलत कोड नंबर भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

(Annexure-I)

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–1/2014/1–3/एक नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015 के द्वारा अधिसूचित दुर्गम/सामान्य अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

## दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र

| क्रमांक | जिला | जिला/विकासखण्ड |
|---|---|---|
| 1 | सुकमा | सम्पूर्ण जिला |
| 2 | दंतेवाड़ा | सम्पूर्ण जिला |
| 3 | नारायणपुर | सम्पूर्ण जिला |
| 4 | बीजापुर | सम्पूर्ण जिला |
| 5 | कांकेर | कोयलीबेड़ा, दुर्गकोंदल, अंतागढ़ विकासखण्ड |

## सामान्य अनुसूचित क्षेत्र

| क्रमांक | जिला | जिला/विकासखण्ड |
|---|---|---|
| 1 | बस्तर | सम्पूर्ण जिला |
| 2 | कोण्ड़ागांव | सम्पूर्ण जिला |
| 3 | सरगुजा | सम्पूर्ण जिला |
| 4 | कोरिया | सम्पूर्ण जिला |
| 5 | बलरामपुर | सम्पूर्ण जिला |
| 6 | सूरजपुर | सम्पूर्ण जिला |
| 7 | जशपुर | सम्पूर्ण जिला |
| 8 | कोरबा | सम्पूर्ण जिला |
| 9 | धमतरी | नगरी विकासखण्ड |
| 10 | बालोद | डौंडी विकासखण्ड |
| 11 | कांकेर | कांकेर, चरामा, नरहपुर विकासखण्ड |
| 12 | गरियाबंद | गरियाबंद, छुरा, एवं मैनपुर विकासखण्ड |
| 13 | राजनांदगांव | अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर विकासखण्ड |
| 14 | रायगढ़ | खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ तमनार एवं लैलूंगा विकासखण्ड |

(Annexure-II)

# सेवा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ........................................................

पिता/पति..................................................पदस्थापना स्थान..........................................................

में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक .............................. से .............................. तक

कार्यरत है/था। इनकी शासकीय सेवा का विवरण निम्नानुसार है:–

| क्र. | पदांकन स्थान | जिला | दुर्गम/सामान्य अधिसूचित क्षेत्र है | सेवा अवधि | | | | | नियुक्ति का प्रकार (नियमित/तदर्थ/संविदा/अन्य) | नियुक्ति का आदेश क्र. एवं दिनांक | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | दिनांक से | दिनांक तक | वर्ष | माह | दिन | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर : ...........................................................

नाम : ...........................................................

पदनाम : ...........................................................

कार्यालय का नाम: .......................................................

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी)

(टीपः– संचानालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के अधीन कार्यरत चिकित्सकों हेतु संबंधित नियंत्रक अधिकारी के उपरोक्त प्रपत्र में प्राप्त जानकारी के आधार पर संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ से जारी की जावेगी)